संख्या-42/2021/1875/77-3-2021-174(एम)/2018टीसी

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 सितम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना हेतु जनपद अलीगढ़ में भूमि क्रय हेतु धनराशि रू0 9,87,98,000/- आवंटित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-1291/यूपीडा/18, दिनांक 08.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर-24 वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत धनराशि रू0 15000.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिसमें से जनपद शासनादेश सं0-38/2021/985/77-3-2021-36(एम)/21 दिनांक 30.07.2021 द्वारा जनपद कानपुर में तहसील घाटमपुर ग्राम साड़ में अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा हेतु स्टोन बाउण्ड्री पिलर एवं ऑटोक्लेब्ड ऐरियेटेड सीमेन्ट ब्लॉक मेसनरी द्वारा बाउण्ड्री वॉल के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 950.13 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी । सम्प्रति धनराशि रू0 14049.87 लाख अवशेष है। अलीगढ़ में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु अलीगढ़ की तहसील कीरतपुर नीमाना तहसील कोल की 9.915 हे0 भूमि के क्रय/पुनर्ग्रहण हेतु कुल धनराशि रू0 9,87,98,000/-आवंटित किये जाने का यूपीडा द्वारा अनुरोध किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 14049.87 लाख में से जिलाधिकारी, अलीगढ़ को धनराशि रू0 9,87,98,000/- लाख (रू0 नौ करोड़ सत्तासी लाख अट्ठानवे हजार मात्र) भूमि क्रय मद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, अलीगढ़ के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) यूपीडा का यह दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, अलीगढ़ से व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दि0 22.03.2021 तथा शा0 संख्या-2/2021/बी-3-138/ दस-2021-100(4)/2002 दिनांक 10.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक अथवा पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखी जायेगी।

4. उपर्युक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 9,87,98,000/-(रू0 नौ करोड़ सत्तासी लाख अढ़ानवे हजार मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दि0 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या-42/2021/1875(1)/77-3-2021 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
02. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
04. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
05. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
06. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
07. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, नियोजन अनुभाग-4
08. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव